नई जनसंख्या नीति-2000

केन्द्र सरकार ने अपनी नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी, 2000 को कर दी है. नई 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति–2000' को तीन मुख्य उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया गया है. नीति का तात्कालिक उद्देश्य (Immediate Objective) आपूरित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधकों, स्वास्थ्य सुरक्षा ढाँचा व स्वास्थ्य कर्मियों की आपूर्ति करना है, जबकि 'मध्यमकालीन उद्देश्य' (Medium Term Objective) सन् 2010 तक कुल प्रजननता दर (TFR) को 2 : 1 के प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level) तक लाना था. नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य (Long Term Objective) सन् 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना बताया गया है. जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर बनाने की बात कही गई है, जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुरूप हो.

राज्यों का जनसांख्यिकीय परिदृश्य यह स्पष्ट करता है कि केरल, तमिलनाडु और पंजाब सहित 9 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रजनन के प्रतिस्थापन दर की स्थिति पर पहुँच गए हैं.

नई जनसंख्या नीति में राज्यों की निर्भय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए लोक सभा की संरचना को 2001 के पश्चात् 25 वर्षों तक और आगे अपरिवर्तित रखने की घोषणा की गई है. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 84 में पुनः संशोधन करना होगा. इसके मौजूदा प्रावधानों के तहत् सन् 2001 तक लोक सभा में राज्यों से सीटों का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही किया गया है. इसी व्यवस्था को सन् 2026 तक बढ़ाने से किसी भी राज्य को इस अवधि में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का कोई लाभ नहीं मिल सकेगा. इसका तात्पर्य यह है कि लोक सभा में निर्वाचित सीटों की संख्या अब 2026 तक 543 ही बनी रहेगी तथा प्रत्येक राज्य से सीटों की संख्या भी तब तक यथावत् रहेगी.

15 फरवरी, 2000 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई जनसंख्या नीति की घोषणा करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छोटे परिवार (प्रति दम्पत्ति 2 बच्चे) का मानक अपनाने के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करने के लिए इसमें 16 उपायों को शामिल किया गया है. इनमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों को 21 वर्ष की निर्धारित आयु के पश्चात् विवाह करने, दो बच्चों के मानक को अपनाने तथा दो बच्चों के पश्चात् नसबंदी करने पर यथोचित पुरस्कार दिए जाने के उपाय शामिल हैं.

वर्ष 2010 तक के लिए 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000' के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं–

1. TFR को कम करके 2 : 1 करना.

2. दो बच्चों के मापदण्ड को अपनाने के लिए उच्चकोटि की गर्भ निरोधक सेवाओं को सार्वजनिक तौर पर मुहैया कराना.

3. जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भधारण के पंजीकरण को पूरा कवरेज प्रदान करना.

4. शिशु मृत्यु-दर को कम करके 30 प्रति हजार जीवित नवजात तक ले आना.

5. टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले रोगों से बच्चों का प्रतिरक्षण.

6. मातृ मृत्यु-दर को कम करके 100 प्रति एक लाख जीवित जन्मजात से नीचे लाना.

7. लड़कियों के देरी से विवाह को बढ़ावा देना और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा प्राथमिक व माध्यमिक स्तरों पर लड़के और लड़कियों दोनों के लिए स्कूल छोड़ देने की दर में कमी करके उसे 20% से नीचे लाना.

नई जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने व उसकी समीक्षा के लिए 11 मई, 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय 100 सदस्यीय 'राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग' (National Population Commission) का गठन किया गया है. केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्री व कुछेक अन्य सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त सभी राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इस आयोग के सदस्य बनाए गए हैं. जाने-माने जनसंख्याशास्त्रियों, जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों व गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है. योजना आयोग के उपाध्यक्ष के. सी. पन्त को इस आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई, 2000 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए एक नए जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन की घोषणा की गई.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में 20 मार्च, 2001 को एक 'अधिकार-प्राप्त कार्य दल' (EAG) गठित किया गया है. EAG का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सूचीबद्ध उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसे राज्यों की मदद करना है जहाँ सामाजिक और जनसांख्यिकीय संकेतक कमजोर हैं. प्रथमतः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखण्ड, उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को ध्यान दिए जाने के लिए चुना गया है.

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत विश्व का लगभग 2·4% भाग घेरे हुए हैं, जबकि यहाँ विश्व की 17·7% जनसंख्या निवास करती है. जनसंख्या की दृष्टि से यह चीन के बाद विश्व का दूसरा बड़ा देश है.
- 1911-21 के दशक में देश में जनसंख्या कम हो गयी, क्योंकि उस समय देशव्यापी बीमारी यथा हैजा, प्लेग, इन्फ्लुएंजा तथा अकाल आदि हो गए थे.
- यहाँ जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण उच्च जन्म-दर, निम्न मृत्यु-दर, अशिक्षा एवं निम्न जीवन-स्तर, विवाह की अनिवार्यता तथा गर्म जलवायु हैं.
- देश में जनसंख्या घनत्व 1991 में 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 1981 में यह 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था. 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है.
- अत्यधिक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में केरल, पश्चिम बंगाल, चण्डीगढ़, पुदुचेरी, दिल्ली, दमन एवं दीव आदि आते हैं. यहाँ जन घनत्व 700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है. दिल्ली का जनघनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा चण्डीगढ़ का 9,258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है.
- यहाँ कम घनत्व वाले प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर तथा नगालैण्ड आदि हैं.
- भारत के महानगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण जन घनत्व अधिक पाया जाता है.
- भारत में जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए विवाह की आयु में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, सन्तति सुधार एवं परिवार कल्याण, शिक्षा का प्रसार तथा सामाजिक सुरक्षा का विकास आवश्यक कदम हैं.
- भारत में साक्षरता का प्रतिशत 1991 में 52·2% था, जो 1951 में 16·7% था. 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 73·0 हो गया है. पुरुष साक्षरता प्रतिशत 81·9 तथा महिला साक्षरता प्रतिशत 64·6 है.
- 1951, 1961 तथा 1971 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना करते समय पाँच वर्ष या उससे ऊपर की आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जबकि 1981, 1991 तथा 2001 की जनगणना में साक्षरता दर की गणना में 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है अर्थात् 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निरक्षर माना गया है चाहे वे किसी भी स्तर की शिक्षा ग्रहण किए हैं.
- 2011 की जनगणना में उस व्यक्ति को साक्षर माना गया है, जो किसी भाषा को पढ़-लिख अथवा समझ सकता है. साक्षर होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की है या कोई परीक्षा पास की हो.